ॐ

9965/2022 (1)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

17 JUN 2022

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BS 064098

लीज डीड

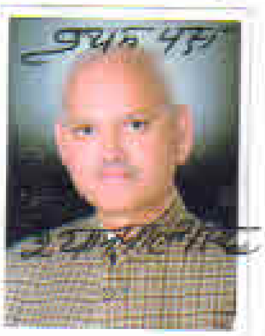

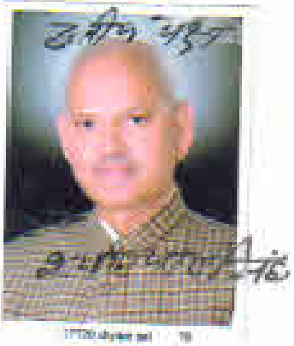

विलेख का संक्षिप्त विवरण

1.	पंजीकरण कार्यालय	-	उपनिबन्धक कार्यालय तहसील सदर फर्रुखाबाद
2.	सम्पत्ति का विवरण	-	अकृषक भूमि गाटा सं0 293/2 कुल रकवा 2.002हे0
3.	ग्राम	-	रठौरा नगला नींव
4.	परगना	-	शमसाबाद पूर्व
5.	कुल क्षेत्रफल (लीज)	-	1.011हे0 अर्थात 10110 वर्गमीटर

(2)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

17 JUN 2022

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 064099

6.	मालियत	-	1,80,000 /- रूपये
7.	लीज डीड अवधि	-	30 वर्ष
8.	लीज डीड प्रभावी तिथि	-	02.07.2022
9.	लीज डीड समापन तिथि	-	01.07.2052
10.	स्टाम्प	-	3,600 /- रूपये

प्रथम पक्ष (लीज डीड दाता) **चौधरी गजराज सिंह डिग्री कालेज, यशोदानगर, रठौरा, पोस्ट-ताजपुर जिला फर्रुखाबाद द्वारा प्रबन्धक श्याम पाल सिंह पुत्र स्व० गजराज सिंह** निवासी ग्राम टिलियां मौजा ताजपुर परगना भोजपुर जिला फर्रुखाबाद हाल निवासी मकान नं० 1/134, सिविल लाइन्स फूस बंगला फतेहगढ़ परगना पहाडा तहसील सदर जिला फर्रुखाबाद।

मो0– 9415146481

आधार नं0– 4193 9161 4875

पैन नं0 : AFNPS7782M

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

17 JUN 2022

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 064100

द्वितीय पक्ष (लीज डीड ग्रहीता)	**चौधरी गजराज सिंह डिग्री कालेज समिति यशोदानगर, रठौरा, पोस्ट- ताजपुर जिला फर्रुखाबाद द्वारा प्रबन्धक श्याम पाल सिंह पुत्र स्व० गजरान सिंह** निवासी मकान नं0 1/134, सिविल लाइन्स फूस बंगला फतेहगढ़ परगना पहाड़ा तहसील सदर जिला फर्रुखाबाद। मो0 नं0– 9415146481 आधार नं0– 4193 9161 4875 पैन नं0 : AFNPS7782M

यह लीज डीड आज दिनांक 02.07.2022 प्रथम पक्ष **चौधरी गजराज सिंह डिग्री कालेज यशोदा नगर रठौरा पोस्ट ताजपुर जिला फर्रुखाबाद द्वारा प्रबन्धक श्याम पाल सिंह पुत्र स्व० गजरान सिंह** निवासी ग्राम टिलियां मौजा ताजपुर परगना भोजपुर जिला फर्रुखाबाद हाल निवासी मकान नं0 1/134, सिविल लाइन्स फूस बंगला फतेहगढ़ परगना पहाड़ा तहसील सदर जिला फर्रुखाबाद व द्वितीय पक्ष **चौधरी गजराज सिंह डिग्री कालेज समिति, यशोदानगर, रठौरा, पोस्ट-ताजपुर**

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FZ 558660

जिला फर्रुखाबाद द्वारा प्रबन्धक श्याम पाल सिंह पुत्र स्व० गजराज सिंह निवासी मकान नं० 1/134, सिविल लाइन्स फूस बंगला फतेहगढ़ परगना पहाड़ा तहसील सदर जिला फर्रुखाबाद के मध्य निष्पादित किया गया जो निम्नानुसार है :–

यह कि प्रथम पक्ष की भूमि स्थित मौजा रठौरा नगला नींव परगना शमसबाद पूर्व तहसील सदर जिला फर्रुखाबाद (जिसका सम्पूर्ण विवरण विलेख के अन्त में दिया गया है) के मालिक व सर्वाधिकारी है। उपरोक्त सम्पत्ति पर किसी प्रकार का कोई भार नहीं है। विदित हो कि लीज पर दी गई भूमि को माननीय न्यायालय उपजिलाधिकारी द्वारा मुकदमा नं० 16/2012/31.12.2012/9.01.2013 को धारा 143 के अन्तर्गत अकृषक भूमि घोषित किया जा चुका है। सम्बन्धित सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का भार नहीं है व सम्पत्ति को न ही दान व विक्रय आदि द्वारा हस्तान्तरित की गयी है। उपरोक्त सम्पत्ति को लीज पर देने के परिपेक्ष्य में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट या अवरोध किसी भी विभाग या किसी न्यायालय का नहीं है। उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के ही कब्जा/अध्यासन में है। प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति को निर्दिष्ट शर्तों के अधीन 30 वर्ष लीज पर उठाने हेतु तैयार है। द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति को लीज पर लेने का इच्छुक है। अतएव प्रथम पक्ष ने स्वस्थ चित्त, स्थिर बुद्धि, प्रसन्नतापूर्वक, बिना किसी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FZ 558661

असम्यक दबाव या धमकी के निम्नवर्णित सम्पत्ति को द्वितीय पक्ष को 30 वर्ष की अवधि के लिये लीज पर देने का निश्चय किया है जो निम्न शर्तों के अधीन है :–

1. यह कि 1 वर्ष का लाभांश 30,000/– रूपये होगा जो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से प्रत्येक वर्ष के माह जुलाई में देय होगा जो कि 30 वर्ष तक निरंतर देय होगा। इस वर्ष का लाभांश 30,000/– रूपये एक मुश्त प्रथम पक्ष द्वारा प्राप्त कर लिया गया है उपरोक्त लाभांश प्रथम पक्ष व समिति के सभी सदस्यों को सहर्ष स्वीकार है।
2. यह कि प्रथम पक्ष ने 30 वर्ष की समयावधि के लिये द्वितीय पक्ष को 02.07.2022 से 01.07.2052 की अवधि हेतु उपरोक्त सम्पत्ति लीज पर देने का निश्चय किया है।
3. यह कि प्रथम पक्ष सभी वर्तमान और भविष्य के सम्पत्ति कर स्वयं वहन करेगा।
4. यह कि द्वितीय पक्ष किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को उपरोक्त भूमि को सिकमी लीज पर नहीं उठायेगा।
5. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा सोसाइटी के सभी सदस्यों को बुलाकर यह बताया गया है कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि लीज डीड पर लेने के लिये तैयार है। आपसी सहमति के आधार पर सभी सदस्यों की सहमति से लीज निष्पादित

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FZ 558662

की जा रही है उपरोक्त लीज के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य जो शराते मध्य हुई है उनकी लिपिबद्ध किया जा रहा है। ताकि सनद रहे व समय पर काम आवे।

6. यह कि दोनों पक्ष सपत्ति हस्तानान्तरण एक्ट 1882 एव संशोधन (Transfer of Property Act 1882 & Amendment) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006, एवं सभी संशोधन अथवा जो भी कानून/नियम राज्य व भारत सरकार द्वारा समय–समय पर लागू किये गये जायेंगे उनमें लीज हेतु निहित सभी प्रावधनों का पालन करेंगे।
7. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि पर निर्माण कराकर शैक्षणिक संस्थान छात्रावास, नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कोर्स, अस्पताल, फार्मेसी आदि सभी सम्बन्धित संस्थाओं से मान्यता/अनुमोदन/सम्बद्धता/पंजीकरण/लाइसेन्स प्राप्त कर संचालन कर सकेगा।
8. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास, नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कोर्स, अस्पताल के संचालन के क्रम में भवन निर्माण एवं शैक्षणिक संस्थान संचालन हेतु सभी विधिक कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।
9. यह कि प्रथम पक्ष की आवश्यकता यदि द्वितीय पक्ष को किसी भी विधिक कार्य सरकारी एवं स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत करने की पड़ती है तो प्रथम

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FZ 558663

पक्ष द्वितीय पक्ष के साथ उपस्थित होकर सम्पूर्ण सहयोग करेगा एवं उपरोक्त कार्यवाही को पूर्ण करायेगा।

10. यह कि द्वितीय पक्ष लीज की भूमि को फार्मेसी सम्बन्धी कार्य जैसे औषधि उत्पादन हेतु व विक्री आदि कार्यों के उपयोग में ले सकता है व उससे किसी प्रकार के अनैतिक/विधिविरुद्ध व्यापार का संचालन नहीं करेगा।

11. यह कि प्रथम पक्ष लीज डीड अवधि के दौरान द्वितीय पक्ष के व्यवसाय में कोई रुकावट/अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।

12. यह कि निश्चित समय सीमा 30 वर्ष समाप्त होने पर लीज विलेख स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा लीज दाता प्रथम पक्ष लीज गृहीता द्वितीय पक्ष से भूमि पर कब्जा/अध्यासन ले लेगा।

उपरोक्त संदर्भित शर्तो का यदि कोई पक्षकार पालन नहीं करता है तब न्याय हेतु सक्षम न्यायालय में दोनों पक्ष वाद संस्थित करने हेतु स्वतन्त्र हैं। जिसका न्यायालय क्षेत्र फर्रुखाबाद रहेगा। लीज डीड अपरिवर्तनीय है। ग्राम विकास शुल्क के अन्तर्गत नहीं है।

पक्षकारों के फोटो प्रमाणित रुबरु गवाहान के कथनानुसार स्वयं प्रारुपकर्ता ने की है। उक्त प्रलेख के कम्प्यूटर प्रणाली लागू होने के कारण पक्षकारों के इच्छानुसार लेखक द्वारा प्रारुप तैयार कम्प्यूटर द्वारा टाइप कर तैयार किया गया है

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FZ 558664

विदित हो कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष व गवाहान के रुप में आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न है।

अतएव हम दोनों पक्षों ने स्वस्थ चित्त, स्थिर बुद्धि, प्रसन्नतापूर्वक, बिना किसी असम्यक दबाव या धमकी के विलेख के दोनों पक्षकारों ने यह लीज डीड निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आवे।

विवरण कृषि भूमि :—

खसरा नं०	रकवा	विवरण
293 / 2	2.002हे०	में से 1.011हे० (2.50एकड़) यानि 10110 वर्गमीटर भूमि को अवधि 30 वर्ष हेतु प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को किराये पर दी गई है।

चौहद्दी :—

पूर्व	—	खेत श्यामपाल सिंह।
पश्चिम	—	खेत श्यामपाल सिंह।
उत्तर	—	खेत श्यामपाल सिंह।
दक्षिण	—	सडक मोहम्मदाबाद से बहोरिकपुर सम्पर्क मार्ग।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FZ 558665

गवाह (1) :
अनिल कुमार सक्सेना एड0
पुत्र श्री रामदयाल सक्सेना
नि0 मोहल्ला सुभाष नगर
शहर व जिला फर्रुखाबाद

गवाह (2) :
अश्वनी यादव पुत्र श्री श्यामपाल सिंह
नि0 मकान न0 1/134, सिविल लाइन्स
फूस बंगला फतेहगढ़ परगना पहाड़ा
तह0 सदर जिला फर्रुखाबाद

दिनांक : 02.07.2022

ड्राफ्टकर्ता : **अनिल कुमार सक्सेना एडवोकेट तहसील सदर जिला फर्रुखाबाद।**
रजिस्ट्रेशन नं0 UP03334/2015